पूरा किया जाने का कार्यक्रम है, नदी तल विद्युत घर पर कार्य जुलाई, 1999 तक पूरा किए जाने की संभावना है। 1450 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता में से मध्य प्रदेश का हिस्सा 57% अर्थात् 826.5 मेगावाट है।

**राजघाट बांध के लिए मध्य प्रदेश को वन भूमि की आवश्यकता**

**5185. श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य राजघाट बांध से मिलने वाले अपने पानी के हिस्से को अपने प्रदेश में ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश की कुछ वन भूमि चाहता है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की इस वन भूमि को मध्य प्रदेश राज्य को दिलाए जाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किए गए हैं तो क्या भारत सरकार उक्त वन भूमि को लोक हित में मध्य प्रदेश को अंतरित करने के लिए उत्तर प्रदेश को कोई अनुदेश जारी करेगी यदि हां, तो कब तक ?

**शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) :** (क) जी हां।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि को गैर-वन भूमि में दिक-परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। प्रस्ताव को शीघ्र प्रस्तुत करने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। इस मामले पर केतका नदी बोर्ड की नई दिल्ली में 18-8-93 को आयोजित की गई 14वीं बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**राष्ट्रीय जल-नीति का कार्यान्वयन**

5186. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में अधिक प्रगति नहीं हुई है तथा सितम्बर, 1987 से राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की बैठक भी आयोजित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे नियम बनाने का विचार रखती है जिससे जल-प्रबंधन, शिकायत तथा संरक्षण से सम्बन्धित विवादों का शीघ्रता से समाधान हो सके और क्या वह वर्तमान राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करने का विचार भी रखती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" हो तो इस प्रकार के मामलों से सरकार किस प्रकार से निपटने का विचार रखती है?

**शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :** (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति को क्रियान्वित करने के लिए सितम्बर, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया जिसकी अब तक छः बैठकें आयोजित की गईं और राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित दिशा निर्देशों नीति प्रलेखों को अन्तिम रूप दिया गया ताकि उनको अपनाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके :

(1) जल सूचना विधेयक।

(2) नदी घाटी संगठनों की स्थापना पर नीति संबंधी टिप्पणी।

(3) पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति पर नीति संबंधी टिप्पणी।

(4) जल आबंटन प्राथमिकताओं में संशोधन करना।

(5) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

(6) सिंचाई क्षेत्र में संगठन और प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन ।

(7) सिंचाई प्रबन्ध नीति और

(8) राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय नदियों का जल आबंटन ।

सरकार की पूर्व व्यस्तता के कारण राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक सितम्बर, 1987 के बाद से नहीं हो सकी है ।

(ग) से (ङ) जी नहीं । सरकार सम्बंधित राज्य सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से लम्बित अन्तर्राज्यीय जल विवादों को बातचीत के जरिए हल करने के सभी प्रयास कर रही है । जब बातचीत से लाभदायक परिणाम नहीं निकलते हैं तो जल विवादों को संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत बनाये गये अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किए गए जल-विवाद अधिकरणों के पास अधिनिर्णय हेतु भेजे जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने अब ये पांच अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण नियुक्त किए हैं :

(1) गोदावरी जल-विवाद अधिकरण,

(2) कृष्णा विवाद अधिकरण,

(3) नर्मदा जल विवाद अधिकरण,

(4) रावी-व्यास जल अधिकरण, और

(5) कावेरी जल विवाद अधिकरण इनमें से चार अधिकरण नामश: कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और रावी-व्यास जल अधिकरण अपने-अपने निर्णय पहले ही दे चुके हैं ।

अन्य बातों के साथ-साथ परस्पर सहमत आधार पर अन्तर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के तरीकों पर विचार करने के लिए अप्रैल, 1990 में सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की स्थायी समिति का भी गठन किया गया ।

**Central assistance for construction of check dams**

5187. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the Government of Gujarat has sent any proposal for the Central assistance for the construction of check dams;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by the Central Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) Check dams are generally constructed across gullies, nallas etc. in the catchment area of the rivers for soil and water conservation. Government of Gujarat has not sent any proposal exclusively for construction of check dams to the Central Government. Under the Centrally Sponsored Scheme of soil conservation in the catchments of river valley projects, an amount of Rs. 182.50 lakhs has been released by the Central Government to the Government of Gujarat during the year 1993-94 for soil & water conservation measures including check dams in the catchments of Dantiwada, Mahi, Ukai and Damanganga in Gujarat.

**Special meeting of Chief Ministers to break the dead lock on SSP**

5188. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Prime Minister had called a special meeting of Chief Ministers of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh to break the deadlock on the Sardar Sarovar Project (SSP) on Narmada river;

(b) if so, whether the main points discussed in the meeting were rehabilitation of dam oustees as well as technical aspects of the project;

(c) if so, whether the Centre asked the States concerned to fully implement the